भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †4919

दिनांक 23.07.2019/1 श्रावण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

आतंक के वित्तपोषण पर संयुक्त बयान

†4919. श्री सुधीर गुप्ताः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने हाल की ब्रिक्स बैठक में यह संकल्प लिया है कि आतंकवाद के सभी प्रकार के समर्थन को रोक देना चाहिए क्योंकि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और यह एक राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने जी-20 के सदस्यों के साथ आतंकवादी नेटवर्कों के वित्त-पोषण और अपने क्षेत्रों से आतंकवादी गतिविधियो को रोकने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में आतंक के वित्तपोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने ऐसे अवैध व्यापार को रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों से कड़े उपाय करने हेतु कोई निदेश जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ड.): जी 20 ओसाका सम्मेलन (दिनांक 28-29 जून, 2019) के समानांतर अनौपचारिक ब्रिक्स बैठक के दौरान, भारत ने अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सभी रूपों एवं आयामों में आतंकवादी हमलों की दृढ़ता से निंदा की। सदस्यों ने ठोस अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर संयुक्त राष्ट्र के

तत्वावधान में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ठोस प्रयास करने एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने बल देकर कहा कि यह सभी राष्ट्रों का उत्तरदायित्व है कि वे अपने क्षेत्र से आतंकवादी नेटवर्क के वित्तपोषण तथा आतंकवादी कृत्यों की रोकथाम करें। उन्होंने आतंकवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट के दुरूपयोग से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

ओसाका, जापान में हाल में आयोजित जी20 सम्मेलन (28-29 जून, 2019) के दौरान, नेताओं ने आतंकवाद के लिए इंटरनेट के दुरूपयोग और आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद (वीईसीटी) की रोकथाम के संबंध में 'जी20 ओसाका लीडर्स वक्तव्य' जारी किया। इससे पहले जुलाई, 2017 में हैम्बर्ग जी20 सम्मेलन में, नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के संबंध में 'हैम्बर्ग जी20 लीडर्स वक्तव्य' जारी किया था। उक्त वक्तव्य में, जी20 सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को पूर्ण रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिकूल बनाने के अपने निश्चय पर बल दिया था। उन्होंने आतंकवाद के वित्तपोषण के सभी स्रोतों, तकनीकों एवं माध्यमों से निपटने के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

सरकार ने देश में आतंक के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जाली भारतीय करेंसी के उत्पादन अथवा तस्करी अथवा परिचालन को आतंकवादी कृत्य के

रूप में अपराध घोषित करके विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों को सुदृढ़ बनाना तथा आतंकवाद से धनप्राप्ति के क्षेत्र को व्यापक बनाना, ताकि आतंकवाद के लिए प्रयोग किए जाने के उद्देश्य वाली किसी भी संपत्ति को इसमें शामिल किया जा सके।

(ii) आतंक के वित्तपोषण और जाली करेंसी के मामलों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) में एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी (टीएफएफसी) सेल का गठन किया गया है।

(iii) आतंक के वित्तपोषण के संबंध में अप्रैल, 2018 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी पत्र जारी किया गया है। उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय करेंसी नोटों के मामलों की जांच के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मार्च, 2019 में दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

(iv) आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने से संबंधित मुद्दों के बारे में राज्य पुलिस कार्मिकों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(v) जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन) नेटवर्क भारत में आतंक के वित्तपोषण का एक माध्यम है। जाली करेंसी नोटों के परिचालन की समस्या से निटपने के लिए राज्यों/केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/जानकारी को साझा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एफआईसीएन समन्वय समूह (एफकोर्ड) गठित किया गया है।

(vi) आतंक के वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों में शामिल तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए केंद्र एवं राज्यों की आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियां मिलकर कार्य करती हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करती हैं।

*****